

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.14(7)चिस्वा/2/18 पार्ट


जयपुर, दिनांक :- 15.10.18

आदेश

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से चयनोपरान्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.07.2018 के द्वारा 54 नवनियुक्त अधिकारियों को औषधि नियंत्रण अधिकारियों के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 13150/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.08.2018 की पालना में चार नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया जा सका। उक्त पिटीशन में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.10.2018 की अनुपालना में इन अधिकारियों को कार्यग्रहण की अनुमति पिटीशन में पारित होने वाले अन्तिम आदेश के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है। विभाग के आदेश दिनांक 25.07.2018 में वर्णित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


उक्त अनुमति निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 3(1)(9)I/Elect/2018/6965 दिनांक 08.10.2018 के द्वारा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसा पर सामान्य प्रशासन विभाग की आई. डी. क्रमांक 3549/पीएस/जीएडी/2018 दिनांक 13.10.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
- 3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
- 5- निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन. एच. एम.
- 6- प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, स्वास्थ्य भवन।
- 7- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 8- औषधि नियंत्रक (प्रथम/द्वितीय) औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
- 9- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 10- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
- 11- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- 12- संबंधित सहायक औषधि नियंत्रक, राज.
- 13- संबंधित अधिकारी को विभाग की बेवसाईट के माध्यम से प्रेषित कर लेख है कि वे उक्त आदेशों की पालना में सात दिवस में अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावें।
- 14- कम्प्यूटर सेल
- 15- निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव